न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.19 / 2020 दिनांक 24.8.2020

सरकार बनाम ओमप्रकाश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेड़ा निहालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0101 / 0.12है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मेंसे 0.03 है0पर ओमप्रकाश पुत्र फुसाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर ने पानी की टंकी बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये ।गैर सायल स्वंय उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई 91 के अन्तगर्त रिपोर्ट तथ्यों को छुपाते हुए पेश की गई है। गैर सायल खसरा नबर 47 / 1.90 है0 का खातेदार काबिज कास्त है जो उसका कदीमी से उपयोग,उपभोग करता आ रहा है। उक्त खसरा नंबर में ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच द्वारा स्वीकृत ग्रामीण उपयोग,उपभोग के लिये पानी की टंकी निर्माण करवा रखी है तथा रास्ते 15 फुट की दूरी पर स्थित है उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर रास्ता निकाला जाता है तो कोई अपत्ति नहीं है। अतः गैर सायलान के विरूद्व कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संदर्भ में भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के अनुसार गैर सायलान की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जांच करने पर पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट सही पाई गई। हमने पटवारी हल्का ,भू0अ0नि0 रिपोर्ट , गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है , अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

अतः गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री फूसाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर को वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 101/0.12है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.03है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बनाई गई टंकी को मोके पर से हटाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 1.20रू. का पचास गुणा 60 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया

वर्ष 2020-21 ... के रा० सं० 4
के पृष्ठ संख्या 65 ... पर 60 रु
रुपये कायम किये गये।
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली